कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर।

प्रशासनिक आदेश संख्या– 356/2020

महासचिव बार एसोसिएशन, सुलतानपुर के द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 24.11.2020 के द्वारा दिनांक 30.08.2020 दिन रविवार को मोहर्रम व दिनांक 14.11.2020 दिन द्वितीय शनिवार एवं दिनांक 15.11.2020 दिन रविवार को दीपावली के त्यौहार के दिनों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवकाश घोषित किया गया था। जिसके एवज में दिनांकः 30.11.2020 दिन सोमवार, दिनांक 11.12.2020 दिन शुक्रवार व दिनांक 24.12.2020 दिन बृहस्पतिवार को अवकाश के रूप में समायोजित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। जिसके सम्बन्ध में प्रभारी प्रशासन से आख्या मांगी गयी।

प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रशासन की आख्या के अनुसार दिनांक 30.11.2020 को गुरू नानक जयन्ती एवं कार्तिक पूर्णिमा है ऐसी स्थिति में बार एसोसिएशन, सुलतानपुर के प्रत्यावेदन के प्रकाश में दिनांक 30.08.2020 के एवज में दिनांक 30.11.2020 को स्थानीय अवकाश घोषित किया जा सकता है। इसी प्रकार दिनांक 14.12.2020 को सोमवती अमावस्या है अतः दिनांक 15.11.2020 के एवज में दिनांक 14.12.2020 को स्थानीय अवकाश घोषित किया जा सकता है। आख्या का अवलोकन किया। जो मेरे द्वारा अनुमोदित किया गया।

अतः दिनांक–30.08.2020 रविवार को मोहर्रम के अवकाश के एवज में दिनांक 30.11.2020 गुरू नानक जयन्ती एवं कार्तिक पूर्णिमा एवं दिनांक 15.11.2020 दिन रविवार को दीपावली के त्यौहार के एवज में दिनांक–14.12.2020 सोमवती अमावस्या को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।

सभी सम्बन्धित सूचित हों।

25.11.20

जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1– अध्यक्ष/महासचिव बार एसोसिएशन, सुलतानपुर।
2– अध्यक्ष/महासचिव बार एसोसिएशन, कादीपुर।
3– अध्यक्ष/महासचिव बार एसोसिएशन, मुसाफिरखाना।
4– जिलाधिकारी सुलतानपुर/अमेठी।
4– पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर/अमेठी।
5– अधीक्षक कारागार, सुलतानपुर।
6– जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी/सिविल ।
7– जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को राष्टीय एवं समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशन हेतु।
8– सिस्टम आफिसर को जिला न्यायालय के वेब साइट पर अपलोड किये जाने हेतु।